

प्रेस नोट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर दिनांक 10.04.2024

कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चोरी चौरा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पिपराईच के नेतृत्व में थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 435/23 धारा 419/420/467/468/471/143/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्ता सुभावती देवी पत्नी स्वर्गीय मदनलाल निवासी ग्राम व पोस्ट झुगिया बाजार थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – अभियुक्ता व उसके सहयोगियों द्वारा कूटरचना कर वादिनी को दस्तावेजों में मृत दिखाकर उनके हिस्से की जमीन रजिस्ट्री करने के संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

सुभावती देवी पत्नी स्वर्गीय मदनलाल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट झुगिया बाजार थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 435/23 धारा 419/420/467/468/471/143/506 भादवि0

गिरफ्तारी की टीम –

1. उ0नि0 शैलेन्द्र मिश्रा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
2. महिला प्रशिक्षु उप निरीक्षक काजल थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
3. महिला प्रशिक्षु उप निरीक्षक शिखा जायसवाल थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर